बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

विषयः– कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करने हेतु 'मुख्यमंत्री गुरू–शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 1,11,60,000/–(एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए युवा प्रतिभाओं को इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों और गुरूओं के मार्गदर्शन में 'बिहार गुरू–शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ कर प्रशिक्षित किया जायेगा।

2–बिहार राज्य के विभिन्न पारंपरिक लोककला एवं शास्त्रीय कलाओं के क्षेत्र जहाँ गुरू शिष्य परंपरा को चलाया जा सकता है, उनमें वैसी लोक कलाएं शामिल हैं, जिन्हें सरंक्षण और पोषण की आवश्यकता है। चिन्हित् कला क्षेत्र एवं इनके प्रशिक्षण की अवधि निम्नवत् हैं:–

क्र०	कला क्षेत्र	विधा	प्रशिक्षण अवधि
1	विलुप्तप्राय लोक गाथा	गौरियाबाबा, भरथरी बाबा, दीनाभद्री, राजा सहलेश, रेशमा–चुहड़मल, सती विहुला, हिरनी–विरनी	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)
2	विलुप्तप्राय लोक नाट्य	बिदेसिया, नारदी, डोमकछ, बगुली, बिरहा, जालिम सिंह, हिरनी–बिरनी, चकुली बंका, किरतनिया, क्षत्री गुगलिया।	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)
3	विलुप्तप्राय लोक नृत्य	पाईका नृत्य, कर्मा नृत्य, करिया झूमर नृत्य, धोबिया नृत्य, झरनी नृत्य, विदापद नृत्य, कठघोड़वा, झिझिया नृत्य, पवरिया नृत्य	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)
4	विलुप्तप्राय लोक संगीत	सुमंगली, रोपनीगीत, कटनीगीत, चैता, पूरबी, संस्कार गीत (जन्म, विवाह, दोहद, साध आदि), पवरिया गीत।	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)
5	विलुप्तप्राय लोक वाद्ययंत्र	सारंगी, विचित्र वीणा, रूद्र वीणा, इसराज, वायलिन शहनाई, बीन, नगाड़ा	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)
6	शास्त्रीय कला/विधा	ख्याल गायन, ध्रुपद धमार गायन, पखावज, सितार, ठुमरी, दादरा, होरी, सतरिया इत्यादि	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)
7	विलुप्तप्राय चित्रकला	पटना कलम, टेराकोटा, सिक्की कला, माली कला, भोजपुरी पीडिया, भोजपुरी छापाकला आदि	2 वर्ष (कम से कम 12 दिन प्रतिमाह)

नोट–राज्य के अन्य विलुप्तप्राय कला रूपों की पहचान होने पर उन्हें भी सम्मिलित करने पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगा।

- गुरू की आयु सीमा न्यूनतम 50 वर्ष तथा शिष्य की आयु न्यूनतम 16 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष का होगा।
- गुरूओं के लिए वित्तीय सहायता **₹ 15,000/**– प्रति माह तथा एक संगतकार के लिए **₹ 7,500/**–प्रति माह होगी। चयनित शिष्यों को प्रति माह **₹ 3,000/**– की छात्रवृति दी जायेगी। विभिन्न विधाओं में 20 गुरूओं का चयन किया जायेगा।
- गुरू, संगतकार एवं शिष्य को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में किया जायेगा।
- 'बिहार गुरू–शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ करने पर होने वाले वार्षिक व्यय की गणना विवरणी निम्नवत हैः–

आवर्ती व्ययः–

क्र0	मद्	मासिक मानदेय एवं अन्य मासिक खर्च	संख्या	वार्षिक व्यय
1	गुरू को प्रोत्साहन राशि	15,000/–	20	36,00,000/–
2	संगतकार को प्रोत्साहन राशि	7,500/–	20	18,00,000/–
3	शिष्यों को प्रोत्साहन राशि	3,000/–	08X20=160	57,60,000/–
			कुल वार्षिक व्यय की राशि	**1,11,60,000/–**

कुल व्ययः– वित्तीय वर्ष 2025–26 से वार्षिक व्यय ₹ 1,11,60,000/–(एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र।

चिन्हित कला क्षेत्र में गुरू–शिष्य परम्परा योजना का आरंभ वितीय वर्ष 2025–2026 से प्रारंभ किया जायेगा तथा वर्ष 2026–2027 तक कार्यान्वयन कराया जायेगा। समीक्षोपरांत इस योजना को आगे के वितीय वर्षों के लिए विस्तारित किया जायेगा।

3–योजना अंतर्गत विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से गुरूओं का चयन किया जायेगा। गुरूओं के चयन से संबंधित मापदंड विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। शिष्यों का चयन चयनित गुरूओं एवं संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संगतकार का चयन गुरूओं के द्वारा किया जायेगा। योजना अंतर्गत प्रत्येक चयनित विद्या में शिष्यों की संख्या 8 तक सीमित होगी। प्रशिक्षक गुरू अपने निवास स्थल/प्रशिक्षण केन्द्र पर शिष्यों को प्रशिक्षित करेंगे। इस योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण समापन उपरांत विभाग द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जायेगा, जिसमें गुरू एवं प्रशिक्षित शिष्यों द्वारा विधावार प्रस्तुतिकरण किया जायेगा एवं गुरू, संगतकार एवं शिष्यों को सम्मानित किया जायेगा।

4–व्यय का विकलन मांग संख्या–08, मुख्य शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–उपशीर्ष–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड–08–2205001020101, विषय शीर्ष–2003–प्रशिक्षण व्यय के उपबंधित राशि से होगा।

5–उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करने हेतु 'मुख्यमंत्री गुरू–शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में **₹** 1,11,60,000/–(एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर दिनांक 01.07.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–2 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2/वि.60–173/2025–........../पटना, दिनांक ..../2025

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2/वि.60–173/2025–........../पटना, दिनांक ..../2025

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2/वि.60–173/2025–........../पटना, दिनांक ..../2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2/वि.60–173/2025–518/पटना, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/उप सचिव/सभी पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित निगम लि0, पटना/सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना/सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना/निदेशक, मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार/आई0टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
1/7/25